



# स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।

<https://www.asmcferozabad.edu.in>

E-mail- [gmcferozabad@gmail.com](mailto:gmcferozabad@gmail.com)

संख्या- एफजैडडी/2022/3164

दिनांक- 10 मार्च, 2023

## सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के विज्ञापन संख्या-एफजैडडी/2022/2695 दिनांक 14.01.2023 एवं विज्ञप्ति संख्या-एफजैडडी/2022/2696 दिनांक-14.01.2023, संख्या-एफजैडडी/2022/2997 दिनांक-17.02.2023 के क्रम में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से (संविदा) के आधार पर भरे जाने हेतु बैवसाइट ([www.asmcferozabad.edu.in](http://www.asmcferozabad.edu.in)) पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है:-

क्र०स०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	एनेस्थिसिया	-	01 सामान्य	01 ई०डब्ल्यू०एस०
2.	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	01 ओ०बी०सी० *
3.	सामान्य मेडिसिन	01 सामान्य	01 ओ०बी०सी०	01 ओ०बी०सी०
4.	सामान्य सर्जरी	-	01 ओ०बी०सी० 01 सामान्य	-
5.	टी०बी० एण्ड चैस्ट	-	01 ओ०बी०सी०	-
6.	मानसिक रोग	-	01 सामान्य	-
7.	चर्म एवं गुप्त रोग	-	01 ई०डब्ल्यू०एस०	01 एस०सी०
8.	नेत्र रोग	01 ओ०बी०सी०	01 ओ०बी०सी०	-
9.	ई०एन०टी०	01 एस०सी०	-	-
10.	पैथोलॉजी	-	01 एस०सी०	-
11.	फार्माकोलॉजी	01 ओ०बी०सी०	-	-
12.	फोरेसिक मेडिसिन	-	-	01 सामान्य
13.	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	01 ओ०बी०सी०
14.	रेडियो-डायग्नोसिस	01 एस०सी०	01 एस०सी०	-
15.	इमरजेन्सी मेडिसिन **	-	01 एस०सी०	01 ओ०बी०सी०
16.	रेडियो-थेरेपी	-	01 ओ०बी०सी०	-
	कुल--	05	12	07

\*Epidemiology Cum Assistant Professor in the Department of Community Medicine


\*\*As per NMC Norms Candidates Of General Medicine, Anaesthesia, T.B. & Chest, General Surgery, Orthopaedics Can Eligible In Emergency Medicine\*

अर्हताएं एवं वेतनमान:- As per TEQ Dated 14 February, 2022

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य को शासनादेश संख्या-104/2016/5044(1)271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रू० 135000/- सह-आचार्य को नियत वेतन रू० 120000/- एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रू० 90000/-प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71-1-2017 जी-63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू० 220000/-प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- (विज्ञापित विशिष्टता में):- आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष आचार्य को अनुपलब्धता में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य आवेदन कर सकते हैं एवं सह-आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष सह-आचार्य की अनुपलब्धता में सहायक आचार्य आवेदन कर सकते हैं।
- चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
- एम०सी०आई० नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 का एस०आर० का अनुभव होना अनिवार्य होगा। ओ०पी०डी० के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।

Principal  
Autonomous State Medical College  
Ferozabad

7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर अथवा तत्काल भी समाप्त की जा सकती है।
10. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सुचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवार्यें समाप्त कर दी जायेगी।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
18. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
19. समय-समय पर विज्ञापित बैवसाइट पर प्रदर्शित होती रहेगी।
20. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-21.03.2023 (मंगलवार) को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

  
 16/03/23  
 प्रधानाचार्य  
 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय  
 Firozabad  
 Autonomous State Medical College  
 Firozabad